संख्या-115/2018/3995 ई-2/तेरह-2018-97/2016

प्रेषक,

वेद प्रकाश राय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
लखनऊ।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 26 दिसम्बर,2018

विषयः-जनपद लखनऊ के होटल/रेस्टोरेन्ट को बार अनुज्ञापन स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन को सम्बोधित एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को पृष्ठांकित अपने पत्र संख्या-3259/जि0आ0अधि0/बार अनु0/2018-19/लखनऊ, दिनांक 20 नवम्बर, 2018 तथा पत्र संख्या-3356/जि0आ0अधि0/बार अनु0/2018-19/लखनऊ, दिनांक 30 नवम्बर, 2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भगत प्रकरणों में जिला बार समिति की बैठक दिनांक 03-11-2018 तथा 16-11-2018 में की गई संस्तुति एवं इसी संदर्भ में आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्या-जी0-157/दस-लाइसेंस-01/एफ0एल0-6,7/द रैन्च रेस्टोरेन्ट/बार अनु0/लखनऊ, दिनांक 17 दिसम्बर,2018 तथा पत्र संख्या-जी0-156/दस-लाइसेंस-01/एफ0एल0-6,7/द कायरो टेल्स/बार अनु0/लखनऊ, दिनांक 17 दिसम्बर,2018 में की गई संस्तुति व अन्य सुसंगत अभिलेखों पर सम्यक् विचारोपरान्त (1) द रेन्च रेस्टोरेन्ट, के-18 से के-23, तृतीय तल, वन अवध सेंटर, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ को एफ0एल0-7 बार अनुज्ञापन एवं (2) मे0 दा कायरो टेल्स रेस्टोरेन्ट, शाप-10, 11 व 12, भूखण्ड संख्या-टी0सी0जी0-4/4, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ को एफ0एल0-7 बार अनुज्ञापन एतद्द्वारा इस शर्त के साथ स्वीकृत किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है कि उनके प्रतिष्ठान में आने वाले आगन्तुकों के वाहनों के कारण सार्वजनिक रास्ते पर आवागमन बाधित नहीं होगा, पार्किंग स्थल का स्पष्ट चिन्हांकन किया जायेगा, अग्निशमन यंत्र पूर्णतः क्रियाशील अवस्था में व अग्निशमन की अनापत्ति जिन शर्तों/प्रतिबंधों के साथ दी गई है, का प्रश्नगत इकाईयों द्वारा पूर्णरूपेण पालन किया जायेगा तथा रेस्टोरेन्ट में सी0सी0टी0वी0 कैमरे की व्यवस्था होने, शान्ति व्यवस्था की दृष्टि से पर्याप्त मेटल डिटेक्टर से हैण्डहेल्ड सुरक्षाकर्मी होने के पश्चात् ही लाइसेंस निर्गत किये जाएं।

तद्नुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
ह0/-
(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-115/2018/3995(1) ई-2/तेरह-2018 तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रति आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्या-जी0-157/दस-लाइसेंस-01/एफ0एल0-6,7/द रैन्च रेस्टोरेन्ट/बार अनु0/लखनऊ, दिनांक 17 दिसम्बर,2018 तथा पत्र संख्या-जी0-156/दस-लाइसेंस-01/एफ0एल0-6,7/द कायरो टेल्स/बार अनु0/लखनऊ, दिनांक 17 दिसम्बर,2018 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
ह0/-
(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।